संपत्ति–अवभार प्रमाण पत्र

अनुसूची 21–प्रपत्र संख्या
प्रमाण–पत्र सं0 4461/2024

आवेदन सं0 4461/2024

चूँकि **श्रीमती / श्री** सुमेर सिंह एम.डी. (मुण्डश्वरी मल्टीकॉम Pvt) ने मेरे प
आवेदन किया है निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित व्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–
दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों
अवभारों के बारे में वही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में **दिनांक** 01.01.2005 से आज दि
तलाशी की गई और ऐसी तलाशी की गई और तलाशी के बाद निम्न व्यवहारों और अवभारों का पता च
है। नही

कम सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्दे		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द सं0	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा – सरहरी थाना नं0 – 44 रजि. + थाना – दानापुर खाता – 319, 320 खेसरा – 527, 1817 रकबा – 33 Decimal							

(क) अवलोकन के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक–पत्र की दशा में, ब्याज की दरें और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2. पट्टे की दशा में पट्टी की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें। (कृ.पृ.उ.)

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उर्पयुक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी संव्यवहार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण–पत्र तैयार किया–

(हस्ताक्षर) :– Wagisha 22.08.2024

(पदनाम) :– लिपिक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण–पत्र की जॉच निम्न व्यक्ति ने की :–

(हस्ताक्षर) :–

(पदनाम) :–लिपिक 22/8/2024

कार्यालय :– अवर निबंधन कार्यालय दानापुर, पटना।

तारीखः– 22-08-2024

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना) 2018

(निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

टिप्पणी :–

1. इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण देकर किन्हीं इन संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जक्शन्स) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणीयों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियॉ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विविर्दिष्ट संपत्तियों के प्रमाण–पत्रों के जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियॉ ओर अनुक्रमणीयॉ उनके सामने रख दी जायेगी।

(क) किन्तु, चॅकि वर्त्तमान मामलों में आवेदक ने स्वयं तलाशी किया है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की हैं। फिर भी, विभाग द्वारा किये गये तालाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होता।

(ख) और, चूँकि वर्त्तमान मामलों में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी की है और चूँकि उसके द्वारा ढूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा, जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हों।

अवर निबंधक, दानापुर, पटना
पत्रांकः– 4461

दिनांकः– 22-08-2024

सेवा में,
शाखा प्रबंधक, STATE BANK OF INDIA RBO-II Patna Central

के पत्रांक– R-II/BST/NEC 109 दिनांकः– 20-8-2024

के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर निबंधक,
दानापुर, पटना।